कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 3217 /FP/UK/ROAD/21943/2016 :देहरादून:दिनांकः 25 मार्च, 2017

सेवा में,

1. अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
कीर्तिनगर, गढ़वाल।

2. प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषयः— जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुये मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण हेतु 1.1375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर कतिपय कमियाँ पायी गयी, जो निम्नानुसार हैं :—

1. डिजिटल मानचित्र में Starting Point and Ending Point स्थल का नाम अंकित किया जाय।
2. भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी0 पर Latitude & Longitude अंकित किया जाय।
3. प्रपत्र—1 में दिनांक अंकित नहीं है।
4. प्रपत्र—2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर संलग्न करें एवं परियोजना का नाम व सभी बिन्दुओं की सूचना भरी जाय।
5. मानचित्र में इन्डेक्स की सूचना भरी जाय।
6. प्रस्तावित मार्ग का जी0ओ0—रिफरेन्स मैप संलग्न किया जाय।
7. वन अधिकार अधिनियम, 2006 हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र में तिथि का उल्लेख नहीं है।
8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जी0ओ0 रिफरेन्स मैप सहित .shp file में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय।
9. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।
10. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन0पी0वी0 का आंकलन पुनः आंकलित कर संलग्न किया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव पर ऑनलाईन भरे जाने वाले कतिपय कमियों को भी पूर्ण किया जाय। प्रस्ताव पूर्ण प्राप्त होने पर ही अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। इस कार्यालय को प्रेषित ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव में उक्त कमियों का निराकरण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

अवलोकित
27/3

अ0 प्र0 व0 सं0/नोडल अधि0
27/3